पूर्ण शुल्क सूची दर पर विशेष डिब्बा/डिब्बे/विशेष गाड़ी/टूरिष्ट कार के पंजीकरण हेतु नियम :–

1. **विशेष डिब्बा/डिब्बों/विशेष गाड़ियो/टूरिष्ट कार का आरक्षण :–**

विशेष सवारी डिब्बा/डिब्बों/विशेष गाड़ियों/टूरिष्ट कार के आरक्षण के लिए आवेदन –पत्र यात्रा के प्रारंभिक स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक के माध्यम से द.पू.म. रेलवे, बिलासपुर के मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक को **यात्रा प्रारम्भ करने की तारीख से अधिक से अधिक 6 माह व कम से कम 30 दिन पहले अवश्य भेजें** जिसमें यात्रा का विवरण जैसे गन्तव्य स्थल, यात्रा का मार्ग, मार्गवर्ती ठहराव तथा उस विशिष्ट गाड़ी का विवरण जिसके साथ सवारी डिब्बा लगाया जाना है। **यदि कोई पार्टी अल्प सूचना अर्थात् 30 दिन से कम की सूचना पर विशेष सवारी डिब्बा/विशेष गाड़ी बुक करना चाहती है तो इसके लिए मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक से विशेष अनुमति अवश्य प्राप्त करनी होगी।** विशेष सवारी डिब्बा/विशेष गाड़ी आबंटन तथा इनके संचलन का कार्यक्रम सवारी डिब्बों और मार्ग की उपलब्धता तथा परिचालनिक स्थितियों के आधार पर रेल प्रशासन के विवेक पर ही निर्भर करेगा।

(संदर्भ–भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग I (जिल्द I) के नियम सं. 305(1) (घ) व 401.7)।

(आवेदन नीचे दिये निर्धारित प्रारुप में ही दिये जायें)।

2. **प्रतिभूति निक्षेप एवं पंजीकरण प्रभार :–**

अ. प्रति सवारी डिब्बा के लिए पंजीकरण प्रभार एवं प्रतिभूति निक्षेप के रुप में समय–समय पर यथा निर्धारित राशि, जो इस समय 50,000/– रुपये है, उस स्टेशन पर जमा करनी होगी जहॉ से प्रस्तावित यात्रा शूरु की जायेगी, इसमें से आधी राशि प्रतिभूति निक्षेप के रुप में रख ली जाएगी और बकाया राशि बुकिंग के समय देय किराए से समायोजित कर ली जाएगी। भ्रमण पूरा होने पर, सभी देय शुल्को और अतिरिक्त विलम्ब शुल्क आदि की कटौती के पश्चात, मूलरुप में फोल्डर व टिकट जमा करने पर यात्रा के प्रारभिक स्टेशन के स्टेशन प्रबंन्धक द्वारा सुरक्षा जमा राशि को वापस किया जायेगा।

ब. रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा सुविधा पास एवं पासों/सुविधा टिकट आदेश पर की गई यात्राओं के लिए आरक्षित सवारी डिब्बा आबंटन के लिए निक्षेप प्रभार समय–समय पर यथा निर्धारित राशि होगी, जो इस समय सवारी डिब्बों के लिए समान रुप से प्रति डिब्बा 15,000/– रुपये है।

स. समय–समय पर यथा निर्धारित राशि, आई आर सी टी सी. द्वारा बुक किये जाने वाले कोच/कोचों के मामले में रु. 5000/– प्रति कोच अथवा **एक लाख रुपये** की एक मुश्त राशि एक ही बार जमा करा दें। इसी प्रकार आई आर सी टी सी विशेष गाड़ियों के लिए रुपया **15,00,000/–** की एक मुश्त राशि एक ही बार प्रतिभूति निक्षेप एवं पंजीकरण प्रभार के रुप में जमा करा दें। एक मुश्त राशि उत्तर रेलवे/नई दिल्ली पर जमा होगा व क्षेत्रीय रेल का ध्यान किये बिना एक साल के लिए वैध रहेगा। साल में बुकिगं करते समय आई आर सी टी सी उपरोक्त धन प्राप्ति रसीद की प्रतिलिपि संलग्न करेंगे और बुकिंग/ टिकट के समय कोई भी राशि समायोजित नहीं की जायेगी।

टिप्पणी :–

(i) विशेष कोच बुक करने के लिए वर्तमान प्रतिभूति निक्षेप रुपया 50,000/– केवल 7 दिनों के लिए वैध होगा और ऐसी स्थिति में जब बुकिंग 7 दिन से अधिक है तो आवेदक से रु. 10,000/– प्रति बोगी प्रति दिन के हिसाब` प्रतिभूति निक्षेप एवं पंजीकरण शुल्क के रुप में अतिरिक्त ली जायेगी।

(ii) पर्यटकों को आरक्षित सवारी डिब्बों के लिए राशि का भुगतान करने से छूट दी गई है बशर्ते कि:–

(अ) वे मान्यता प्राप्त पर्यटक एजेंटों के माध्यम से आवेदन करें जो रेलवे को गारंटी दें।

(ब) उनकी यात्रा विदेश स्थित भारतीय दूतवासों द्वारा प्रायोजित की गई हो अथवा उनकी सिफारिश की गई हो।

(संदर्भ–भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग I (जिल्द I) के नियम सं. 305(2) (क,ख व ग), 401)(ग), रेलवे बोर्ड वाणिज्य सर्कूलर सं. 2010 का 1, तथा 2011 का 9 तथा रेलवे बोर्ड पत्र सं. TC-II/2495/2008/2 dtd-09.08.2011 & 24.08.2011)।

3. **आरक्षित बोगी/बोगियों की गांरटी न होना :–**

आरक्षित सवारी डिब्बों की गारंटी नहीं दी जाती है। रेल प्रशासन किसी गाड़ी विशेष से सवारी डिब्बा की गारंटी नहीं देता तथा मांगी गई गाड़ी में डिब्बा न लगाए जाने के कारण होने वाली असूविधा, हानि अथवा अतिरिक्त व्यय के लिए किसी मुआवजे का दावा स्वीकार नहीं करेगा।

(संदर्भ–भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग I (जिल्द I) के नियम सं. 305(3) तथा 306)।

4. विशेष सवारी डिब्बे/विशेष गाड़ी मांग करने वाली पार्टियों को एक ही परिवार का सदस्य होना जरुरी नही हैं।

(संदर्भ–भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग I (जिल्द I) के नियम सं. 305(4)।

5. **स्टेशन प्रबंधक का अग्रसारण :–**

विशेष सवारी डिब्बे/विशेष गाड़ी के आरक्षण की प्राथमिकता **आवेदन–पत्र के पंजीकरण की तारीख के आधार** पर होगी अर्थात **प्रतिभूति निक्षेप एवं पंजीकरण प्रभार की रसीद की संख्या** एवं दिनॉक पते का साक्ष्य, पूर्व में एफ टी आर पर बुकिंग (यदि कोई हो) का रिकार्ड आदि की जानकरी लिखकर तथा उसकी प्रति **आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रारम्भिक स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन मास्टर द्वारा अग्रेषित दिनांक से होगा।**

(संदर्भ–भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग I (जिल्द I) के नियम सं. 305(1) (घ), 401.7 रेलवे बोर्ड वाणिज्य सर्कूलर सं. 2011 का 9 का मद सं. 11)।

6. **प्रभार :–**

विशेष गाड़ी/ विशेष सवारी डिब्बों के लिए प्रभार **यात्रा करने वाले व्यक्तियों की वास्तविक संख्या के लिए संबधित श्रेणी के वयस्को के लिए देय मेल/एक्सप्रेस किराए अथवा डिब्बों की अंकित वहन क्षमता के आधार** पर, जो भी अधिक हो + प्रतिभूति निक्षेप प्रभार + समय–समय पर निर्धारित दर पर (सेवा प्रभार +खाली डिब्बा का कर्षण प्रभार+ रुकौनी प्रभार) एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिकलित किये जाऐंगे। यदि अतिरिक्त यात्री ले जाए जा रहे हों, तो यात्रा शुरु करने के समय या उससे पूर्व, प्रारम्भिक स्टेशन पर घोषित किए जाने वाले अतिरिक्त यात्रियों के लिए यथानुपात प्रभारों की वसूली की जाएगी। प्रारंभिक स्टेशन पर भुगतान किए बिना ले जाए जा रहे अतिरिक्त यात्रियों के लिए यथानुपात प्रभर लिया जाएगा और मौजूदा नियमों के अनुसार शासित प्रभारों की वसूली की जाएगी। यात्रियों की सं. और डिब्बों में विस्फोटक एवं ज्वलनसिल पदार्थो के ले जाने पर रोक वाणिज्यिक कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(संदर्भ–भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग I (जिल्द I) के नियम सं. 305(6) तथा 401.2 (घ)।

टिप्पणी :– विशेष गाड़ियों के लिए स्थान से स्थान तक के प्रभार तथा रुकौनी प्रभार परिकलित करने के मकसद से छूट के रुप में, यात्रियों के चढ़ने–उतरने, पानी /खाद्य पदार्थ लेने के लिए विशेष निःशुल्क ठहराव प्रदान किए जाएगें। **अनुमति प्राप्त विशेष निःशुल्क ठहरावों की संख्या प्रत्येक 1000 कि.मी. के ब्लाक की यात्रा या उसके भाग के लिए अधिक से अधिक दो (2) होगी।** प्रत्येक ठहराव **अधिक से अधिक केवल 20 मिनट** की अवधि के लिए होगा। विशेष निःशुल्क ठहरावों की अनुमति तभी प्रदान की जाएगी जब आवेदक ने विशेष गाड़ी के लिए कार्यक्रम का आवेदन करते समय उनके लिए अग्रह किया हो। स्थान से स्थान तक के प्रभारों तथा रुकौनी प्रभरों के परिकलन के लिए इन विशेष निःशुल्क ठहरावों, तथा रेलवे के परिचालनिक ठहरावों का विचार नहीं किया जएगा।

(संदर्भ–भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग I (जिल्द I) के नियम सं. 401..2 (क) टिप्पणी (2)।

7. **भुगतान :–**

यात्रा के प्रारंभिक स्टेशन पर सभी प्रभारों का भुगतान पूर्ण रुप से उस गाड़ी के प्रस्थान करने के 48 घंटे पहले कर दिया जाना चाहिए जिसके साथ विशेष सवारी डिब्बे लगाए जाने हों, ऐसा न किए जाने पर यह समझा जाएगा कि आयोजकों द्वारा विशेष सवारी डिब्बों का चलाना प्रत्यादेशित कर दिया गया हैं। इस मामले में पूरा पंजीकरण प्रभार एवं प्रतिभूति निक्षेप जब्त कर लिया जाएगा। यही नियम समान रुप से विशेष गाड़ियों के मामले में भी लागू होगा।

(संदर्भ–भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग I (जिल्द I) के नियम सं. 305(6) (ख) एवं 401.2(ग)

8. **विशेष गाड़ी का न्यूनतम संयोजन व प्रभार के लिए दूरी :–**

समय–समय पर निर्धारित् जो वर्तमान में विशेष गाड़ियो के लिए न्यूनतम संयोजन **18 (एस.एल.आर. को जोड़कर) सवारी डिब्बों का होगा और विशेष गाड़ी/विशेष सवारी डिब्बा के लिए न्यूनतम दूरी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का 500 कि.मी. होगी।**

नोटः– समय–समय पर निर्धारित **आई आर सी टी सी की प्रार्थना पर विशेष गाड़ियों के लिए संयोजन वर्तमान में 10 कोचों** का हैं।

(संदर्भ–भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग I (जिल्द I) के नियम सं. 305(6) (द) एवं 401.1)

9. **रियायत :–**

विशेष सवारी डिब्बों की बुकिगं के लिए **कोई रियायत नहीं** दी जाएगी। बच्चों, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों आदि के लिए भी पूरे प्रभार वसूल किए जायेंगें।

(संदर्भ–भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग I (जिल्द I) के नियम सं. 305(7) (द) एवं 401.2) (ख)।

10. **आवेदक के अनुरोध पर रास्ते में अतिरिक्त रुकौनी :–**

यात्रा प्रारम्भ होने के बाद जब कभी आवेदक के अनुरोध पर अनुमोदित रुकौनी घंटे और/ अथवा मार्ग परिवर्तन के कारण अतिरिक्त रुकौनी हो तो इस प्रकार अतिरिक्त रुकौनी और/अथवा मार्ग परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रभार उसी स्टेशन पर देय होंगे जहां पर अतिरिक्त रुकौनी/मार्ग परिवर्तन होता हैं।

(संदर्भ–रेलवे बोर्ड वाणिज्य सर्कूलर सं. 2011 का 9 का मद सं. 1)।

11. **पूर्व के फोल्डर जमा न करने पर अपात्रता :–**

ऐसी पार्टी जिसने पूर्व के फोल्डर जमा नहीं किये हैं, उन्हे विशेष बोगी/विशेष गाड़ी बुक करने की इजाजत नही दी जायेगी जब तक कि शुल्क सेटिल हों।

(संदर्भ–रेलवे बोर्ड वाणिज्य सर्कूलर सं. 2011 का 9 का मद सं. 7)।

12. **विशेष गाड़ियों को ठीक समय पर चलाना :–**

रेलें न तो इस बात की गारंटी देती हैं कि विशेष गाड़ियां बताये गये समयानुसार ही पहुंचेगी और छूटेंगी और न ही यात्रियों की अथवा उनके सामान को विलम्ब या रुके रहने के कारण होने वाली हानि या असुविधा के लिए अत्तरदायी होंगी।

(संदर्भ–भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग I (जिल्द I) के नियम सं. 401.12)।

13. **सवारी डिब्बों में विस्फोटक एवं ज्वलनशील सामग्रियों की ढुलाई पर प्रतिबंध :–**

विशेष डिब्बे/विशेष गाड़ी के आवेदनकर्ता को लिखित वचनबद्धता देनी होगी कि वे अपने साथ किसी भी प्रकार का विस्फोटक तथा ज्वलनशील सामग्री जिसमें रसोई गैस, मिट्टी तेल के स्टोव आदि शामिल हैं, सवारी डिब्बाों में लेकर नहीं जायेंगे।

(संदर्भ–भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग I (जिल्द I) के नियम सं. 305(9) एवं 401.12)।

14. पहचान एव ंपते का साक्ष्य :–

विशेष बोगी/विशेष गाड़ी बुक करने के लिए प्रतिभूति निक्षेप धन जमा करते समय आवेदक को पहचान एवं अपने पते के सत्यापन का आदेशित रिकार्ड स्टेशन मास्टर को जमा करना होगा। पते के सत्यापन के लिए राज्य/केन्द्र सरकार या राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत प्रमाण पत्रों में से कोई एक होगा।

(संदर्भ–रेलवे बोर्ड वाणिज्य सर्कूलर सं. 2011 का 9 का मद सं. 11)।

15. प्रत्यादेश प्रभारः–

यदि विशेष डिब्बा/डिब्बों/गाड़ी/टूरिष्ट कार की मांग यात्रा के अनुसूचित दिन से दो दिन पूर्व या उससे पूर्व रदृ कर दी जाती है तो प्रत्यादेश प्रभार के रुप में पंजीकरण शुल्क की 10 प्रतिशत रकम जब्त कर ली जाएगी। यदि निरसन, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से चार घंटे पहले तक या एक दिन पूर्व (यात्रा के दिन को छोड़कर) किया जाता है तो प्रभृत किराए का 25 प्रतिशत निरसन प्रभार होगा और यदि यात्रा, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से चार घंटे के भीतर या उसके बाद रदृ की जाती है तो निरसन प्रभार प्रभृत किराए का 50 प्रतिशत होगा।

टिप्पणीः–

यदि आई. आर.सी.टी.सी. विशेष गाड़ी/सवारी डिब्बा की मांग अनुसूचित दिन से दो दिन या इससे पर्व रदृ करता है तो प्रत्यादेश प्रभार के रुप में पंजीकरण शुल्क जो रु. 5000 प्रति सवारी डिब्बा है और रु. 50,000 प्रति विशेष गाड़ी (15 सवारी डिब्बों के स्थान पर सवारी डिब्बे हो) की 10 प्रतिशत दर से गणना की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

(संदर्भ–भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग I (जिल्द I) के नियम सं. 313 (6) एवं 401.9)।

16. यात्रा का सुनश्चयन

यात्रा का सुनश्चयन यात्रा की प्रारम्भिक तिथि से 4 दिन पूर्व जारी किया जायेगा वशर्ते कि सम्बन्धित रेलवे के द्वारा हालेज क्लीयरेंस मिला हो अन्यथा कार्यक्रम रेलवे के भाग में निरस्त माना जायेगा और आवेदक पार्टी को समुचित सूचना दी जायेगी।

17. जिस स्टेशन पर यात्रा प्रारम्भ होनी है, वहॉ का स्टेशन मास्टर यात्रा के संयोजक/आवेदक को एक फोल्डर देगा। पार्टी द्वारा प्रस्तुत किये गए फोल्डर में विवरण भरने, हस्ताक्षर करने तथा स्टेशन की मुहर लगाने की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की हैं। यात्रा के संयोजक/आवेदक की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की हैं कि फोल्डर में सभी सम्बन्धित विवरण सम्बन्धित स्टेशन मास्टर से भरवाकर तथा विधिवत हस्ताक्षर कराकर प्राप्त कर लिए हैं और प्रत्येक ठहराव पर स्टेशन की मुहर लगा दी गई है। आरम्भिक कार्यक्रम में अथवा बाद में पार्टी के अनुरोध पर दिए गए हाल्टों के सम्बन्ध में ही फोल्डर भरे जाने की आवश्यकता होगी, रेलवे की सुविधानुसार परिचालनिक हाल्टो के सम्बन्ध में नही। भ्रमण पूरा होने के 15 दिन के अन्दर फोल्डर उस प्रारम्भिक स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक को प्रस्तुत किया जायेगा जिससे यात्रा प्रारम्भ की गई थी।

(संदर्भ–भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग I (जिल्द I) के नियम सं. 305(8) एवं 401.13)।

18. वापसीः

भ्रमण पूरा करने पर, सभी देय शुल्कों और अतिरिक्त विलंब शुल्क की कटौती के पश्चात् यात्रा के प्रारम्भिक स्टेशन का स्टेशन प्रबंधक सुरक्षा जमा और अधिभार यदि कोई हो, तो उसकी वापसी करेगा, रकम वापस करते समय स्टेशन प्रबंधक को व्यक्तिगत रुप से यह सुनिश्चित कर लना चाहिए कि पार्टी पर कोई अवप्रभार बकाया नहीं है और गाड़ी रेलवे को अच्छी हालत में वापस की गई है यदि फोल्डर और/या टिकट खो जाता है या दोनों मुल रुप से जमा नहीं किये जाते हैं तो धन वापसी नहीं की जायेगी। ''यदि **फोल्डर 30 दिन (w.e.f. 01.04.16)** की आम अवधि के बाद लेकिन टूर पूरा होने के 6 महीनों के अन्दर जमा किया जाता है, प्रतिभूति निक्षेप (सिक्यूरिटी) के 50 प्रतिशत की वापसी मुख्य वाणिज्य प्रबंधक की अनुमति से की जा सकती हैं। यदि फोल्डर 6 महीने के बाद जमा किया जाता हैं तो धन वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(संदर्भ–भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग I (जिल्द I) के नियम सं. 313(11) एवं 401.8)।
(संदर्भ–रेलवे बोर्ड, कमर्शियल सर्कुलर नं. 11 (2016) पत्र सं. टीसी–।।/2033/2015/पालिसी/1, दिनांक 15.03.2016)

19. विशेष बोगी/विशेष गाड़ी का पंजीयन उसी स्टेशन पर होगा जहॉ पर्यवेक्षकीय स्टेशन प्रबंधक /स्टेशन मास्टर नियुक्त होगा। कोचों को जोड़ने /काटने की अनुमति उन्ही स्टेशनो पर दी जायेगी जहॉ मॉगी गाड़ी का निर्धारित ठहराव समय 10 मिनट या उससे अधिक होगा।

(संदर्भ–भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग I (जिल्द I) के नियम सं. 305(1) (घ)।

20. स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन मास्टर पार्टी को स्पष्ट रुप से यह बतायेगें कि ऐसे स्टेशन जहॉ से वे और आगे की यात्रा करना चाहते हैं, कोच का ठहराव नहीं चाहते हैं, उससे आगे गाड़ी नामित नहीं करें और यह परिचालन विभाग की जिम्मेदारी होगी कि रेलवे की परिचालनिक सुबिधाओं के हिसाब से उपयुक्त गाड़ी नामित करें। पार्टी को यह भी स्पष्ट रुप से बताया जाय कि यदि वे ऐसे स्टेशन से आगे की यात्रा के लिए गाड़ी नामित करते है तो गाड़ी को जोडने के लिए समयान्तराल एक ठहराव के रुप में माना जायेगा और उन्हें नियमानुसार उसके लिए ठहराव शुल्क अदा करने होंगें और ऐसे स्टेशन को ब्रेक पाइंट मानने के कारण टेलिस्कोपिक फायदे के हकदार नहीं होंगें।

(संदर्भ–रेलवे बोर्ड वाणिज्य सर्कूलर सं. 2011 का 9 का मद सं. 8 और 9)।

21. आवेदन जमा होने के बाद कार्यक्रम में कोई ऐसा बदलाव स्वीकार नहीं किया जायेगा जिससे कार्यक्रम की प्रकृति प्रभावित हो।

22. स्टेशन प्रबंधक एक रजिस्टर में पूर्ण विस्तृत जानकारी के साथ विशेष गाड़ी/विशेष कोच की बुकिंग का रिकार्ड रखेगा और नियमित अपडेट करेगा।

23. इसी तरह से मंडल नियत्रंण कार्यालय में एफटीआर पर विशेष कोच/विशेष गाड़ी की बुकिंग का रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

24. पंजीकरण कम सुरक्षा निधि स्वीकार करने के तुरन्त बाद मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक व स्टेशन प्रबंधक आवेदक के नाम, पते सहित, एम आर सं. आदि के साथ डायरी प्रविष्टि द्वारा मंडल नियंत्रण कार्यालय को सूचना देंगे।

25. मडंल नियंत्रण कार्यालय COIS के द्वारा मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक को सूचित करेगा और मूल आवेदन को वरिष्ठ मडंल परिचालन प्रबंधक के मार्फत पूर्ण जानकारी/दस्तावेज सहित भेजेगा।

भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची स. 26 (भाग –I) (जिल्द–I) के अध्याय स. III एवं IV में निहित नियम और समय–समयपर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा–निर्देश/संशोधन अन्तिम होगें।

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/यात्री सेवा

मुख्य यात्री परिवहन प्रबंन्धक

<u>एफ टी आर पर गाड़ी बुक करने हेतु आवेदन</u>

सेवा में,
श्रीमान् मुख्य यात्री परिवहन प्रबन्धक
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे/बिलासपुर।

(द्वारा स्टेशन प्रबन्धक/..)

विषय–: पूर्ण दरसूची दर (एफ. टी. आर.) पर विशेष गाड़ी बुक करने हेतु अनुरोध।

महोदय्

मैं, अधोहस्ताक्षर कर्ता, निम्नांकित यात्रा एवं अन्य विवरण के अनुसार एफ.टी. आर पर एक विशेष गाड़ी बुक करने की व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूँ :

1. यात्रा का उद्देश्य:–आईआरसीटीसी टूर/प्राइवेट टूर आपरेटर/शादी पार्टी/कार्यालयीन टूर

2. कोचों का प्रकार व सं.–एसएलआर– ,शयनयान– ,वातानुकूलित/......– ,रसोई यान– =कुल,

3. यात्रा विवरण :

	दिनॉक	प्रस्थान समय	कहॉ से	कहॉ तक	आगमन समय	दिनॉक	मार्ग
बर्हिगामी यात्रा							
वापसी यात्रा							

4. निः शुल्क ठहराव–बर्हिगामी यात्रा ....वापसी यात्रा ....

5. अन्य ठहराव – बर्हिगामी यात्रा... वापसी यात्रा ....

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ किः (i) यदि मॉगे गये कोच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पर उपलब्ध नही हों तो कृपया अन्य रेलवों से व्यवस्था करें जिसके लिए नियमानुसार शुल्क देने के लिए तैयार हूँ। (ii) रेलवे की सुविधानुसार या परिचालनिक कारणों से मार्ग परिवर्तन मुझे स्वीकार होगा। (iii) न ही यात्रियों अथवा उनके सामान को विलम्ब या रुके रहने या मार्ग परिवर्तन के कारण होने वाली हानि या असुविघा के लिए किसी भी प्रकार का दावा या मॉग करुगॉ क्योंकि रेलवे विशेष गाड़ियां बताए गए समयानुसार छूटने और पहुँचने की गारंटी नही देती हैं । (iv) यात्रा के दौरान बोगियों में कोई भी ज्वलनशीलए विस्फोटक, खतरनाक, रसोई गैस सिलेन्डर, मिटटी तेल आदि पदार्थ या वस्तुऐं नही ले जाऊँगा। (v) गाड़ी के प्रस्थान से 48 घंटे पूर्व नियमानुसार निर्धारित सभी शुल्क अदा करुँगा।

पॅजीकरण एवं प्रतिभूति निक्षेप धन की प्राप्ति रसीद सं. .... दिनॉक ....व पते के साक्ष्य की छाया प्रति संलग्न है। रसोई यान में कार्य करने के लिए खान–पान कर्मचारियों का अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी संरक्षा प्रमाण पत्र भी मूल रुप में संलग्न है।

स्थान ....
दिनॉक .... आवेदक के हस्ताक्षर

<u>मोबाइल/फोन न. सहित आवेदक का नाम व पूरा पता</u>

....
....
....

प्रमाणित किया जाता है कि (i) प्रतिभूति निक्षेप एवं पंजीकरण धन रसीद सं.......................................दि........................को श्री ....द्वारा जमा किया गया हैं। (ii) आवेदक द्वारा ऊपर दी गई सभी सूचनाऐं सही और सत्यापित हैं। (iii) आवेदक ने पूर्व में एफ टी आर पर बुक किये गये कोच /विशेष गाड़ी के फोल्डर को जमा कर दिया है और सभी शुल्क सेटिल हो गये हैं/बुक नही किये हैं। (iv) सभी आवश्यक नियम व आधारभूत सुविधा को जांच–परख लिया हैं।

स्टेशन मुहर सहित स्टेशन प्रबन्धक का हस्ताक्षर

<u>एफ टी आर पर कोच बुक करने हेतु आवेदन</u>

सेवा में,
श्रीमान् मुख्य यात्री परिवहन प्रबन्धक
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे/बिलासपुर।

(द्वारा स्टेशन प्रबन्धक/.................................)

विषय–: पूर्ण दरसूची दर (एफ. टी. आर.) पर अतिरिक्त बोगी पॅजीकृत करने हेतु अनुरोध।

महोदय्

मैं, अधोहस्ताक्षर कर्ता, निम्नांकित यात्रा एवं अन्य विवरण के अनुसार एफ.टी. आर पर बोगी बुक करने की व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूॅ :

१. **यात्रा का उद्देश्य** :– आई आर सीटीसी टूर/प्राइवेट टूर आपरेटर/शादी/कार्यालयीन टूर

२. **अपेक्षित कोच/कोचों का प्रकार व सं.–** सामान्य– ,शयनयान– ,वातानुकूलित/...........–

३. **यात्रा विवरण :**

	प्रस्थान दिनॉक	गाड़ी सं.	कहॉ से	कहॅा तक	आगमन दिनॉक
बर्हिगामी यात्रा					
वापसी यात्रा					

मैं एतद् द्धारा घोषणा करता हूॅ किः (i) यदि मॉगें गये कोच/कोचों (अ) को दे पाना संभव न हो तो उपलब्ध दूसरे प्रकार का/के कोच दिये जा सकता/सकते हैं। (ब) मॉगे गये स्टेशनो पर कोच/कोचों का जोड़ना/काटना सम्भव न हो तो इन्हे रेलवे की सुविघानुसार गाड़ी के प्रारम्भिक/अन्तिम या पास के उचित स्टेशनो पर जोड़ने/काटने की व्यवस्था करें जिसके लिए नियमानुसार शुल्क देने के लिए तैयार हूॅ। (ii) रेलवे की सुविधानुसार या परिचालनिक कारणों से मार्ग/गाड़ी परिवर्तन मुझे स्वीकार होगा। (iii) यात्रियों अथवा उनके सामान को विलम्ब या रुके रहने या मार्ग/गाड़ी परिवर्तन से होने वाली हानि या असुविघा के लिए किसी भी प्रकार का दावा या मॉग नहीं करुॅगा। (iv) यात्रा के दौरान बोगियों में कोई भी ज्वलनशील, विस्फोटक, खतरनाक, रसोई गैस सिलेन्डर, मिटटी तेल आदि पदार्थ या वस्तुऐं नही ले जाऊॅगा। (v) गाड़ी के प्रस्थान से 48 घंटे पूर्व नियमानुसार निर्धारित सभी शुल्क अदा करुॅगा।

पॅजीकरण एवं प्रतिभूति निक्षेप धन की प्राप्ति रसीद सं. .... दिनॉक .... व पते के साक्ष्य की छाया प्रति संलग्न है।

स्थान ....

दिनॉक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>मोबाइल/फोन न. सहित आवेदक का नाम व पूरा पता</u>

....

....

....

प्रमाणित किया जाता है कि (i) प्रतिभूति निक्षेप एवं पंजीकरण धन रसीद सं....................................दि.................... .को श्री .... द्वारा जमा किया गया हैं। (ii) आवेदक द्वारा ऊपर दी गई सभी सूचनाऐं सही और सत्यापित हैं। (iii) आवेदक ने पूर्व में एफ टी आर पर बुक किये गये कोच /विशेष गाड़ी के फोल्डर को जमा कर दिया है और सभी शुल्क सेटिल हो गये हैं/बुक नही किये हैं। (iv) सभी आवश्यक नियम व कोच/कोचों के जोड़ने/काटने हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधा को जांच–परख लिया हैं।

स्टेशन मुहर सहित स्टेशन प्रबन्धक का हस्ताक्षर

Instructions/Rules for booking of coach/coaches/special train/Tourist Car on FTR

1. **Reservation of Special Coach/Coaches/Train/Tourist Car on FTR**:

   Application for booking of Special coach/coaches/Train/Tourist Car on FTR must be made to the Chief Passenger Transportation Manager (CPTM)/SECR/Bilaspur through the Station Master of originating station giving details of the journey such as destination, route to be followed, halts enroute and the specific train to which the coach/coaches is/are to be attached. The application should be made **at least 30 days in advance and not more than six months prior to the commencement of the journey. In case any party wishes to requisition a special coach/Train at short notice i.e. less than 30 days notice, specific permission must be obtained for this from the CPTM**. *It will be the sole discretion of the Railway Administration to allot special Coach/Coaches/Train/Tourist Car and program, its movement depending upon the availability of Coaches, paths and other operational considerations.*

   (Ref: IRCA Coaching Tarrif 26 Part-I (vol.I) Rule No. 305(1)(d) & 401.7)

   (The application should be made in the prescribed format given below)

2. **Security Deposit cum Registration Charges**:

   (a) An amount as prescribed from time to time which at present is Rs. **50,000/- per coach** as Registration cum Security Deposit will be payable at the station from where the proposed journey will commence, of this half will be retained as Security Deposit and the balance amount would be adjusted against the fare payable at the time of booking. The Security deposit will be refunded by the Station Manager of the originating station on completion of the tour when the folder and ticket are deposited in original after deducting over charges, if any, including the excess extra detention charges etc.

   (b) The deposit Charges for allotment of reserved coaches for journeys performed by Railway employees and their families on privilege pass and passes/PTOs would be an amount as prescribed from time to time, which at present is Rs. 15,000/- per coach.

   (c) As prescribed from time to time, in case of Special Coach/Coaches booked by IRCTC either Rs. 5,000/-per coach or one time lump sum amount of Rs. **1,00,000**/- as Security Deposit cum Registration charges may be deposited. Similarly, IRCTC may deposit one time lump sum amount of Rs. **15,00,000/-** as Registration cum Security Deposit for IRCTC trains. The lump sum deposit will be deposited at NR/New Delhi and will be valid for one year irrespective of the Zonal Railways. At the time of booking during the year, IRCTC will attach a copy of the said cash receipt and no amount will be adjusted at the time of booking.

   Note:-

   (i) The existing Security Deposit of Rs. 50,000/- will be valid for booking of a special Coach for a period up-to 7 days only and in cases where period of booking extends beyond 7 days an enhanced Security Deposit cum Registration fee @ Rs. 10,000/- per coach for every additional day will be collected from the party.

(ii) Tourists are exempted from paying the Deposit for reserved carriage provided-

a) They apply through recognized Tourist Agents who should give a guarantee to the Railways.

b) Their journeys are sponsored or recommended by Indian Embassies abroad.

(Ref: IRCA Coaching Tarrif 26 Part-I (vol.I) Rule No. 305(2) (a,b&c), 401(c), Railway Board Commercial circular No. 1 of 2010 & 9/2011, Rly Board Letter Nos- TC-II/2495/2008/2 dtd-09.08.2011 & 24.08.2011)

3. Reserved coach/coaches are not guaranteed-

Railway Administration do not guarantee reserved Carriage/Coaches by any particular train and will admit no claim for compensation for inconvenience, loss or extra expenses due to such accommodation not being provided or attached to trains by which asked for.

(IRCA Coaching Tarrif 26 Part-I (vol.I) Rule No. 305(3) & 306)

4. Parties requiring such accommodation need not be members of the same family.

(Ref: IRCA Coaching Tarrif 26 Part-I (vol.I) Rule No. 305(4)

5. Forwarding by Station Manager:

The reservation of Coach/Coaches/Special Train will be on **priority of date of registration i.e. application along with Security Deposit receipt duly forwarded by Station Manager** of originating station endorsing the Name of applicant, MR No. and date of Security Deposit, address proof, record of previous booking on FTR, if any, etc.

(Ref: IRCA Coaching Tarrif 26 Part-I (vol.I) Rule No. 305(d), 401.7 & item No. 11 of Railway Board Commercial circular No 9 of 2011.)

6. Charges:

Charges for special coach/coaches/train will be computed point to point on the basis of full adult Mail/Express fare of the concerned class for the **actual number of passengers traveling or the carrying capacity of the coach which ever is more** +Security Deposit + Service Charges + Empty Haulage Charges + Safety Surcharge + Detention Charges @ the prescribed from time to time. **If extra passengers are carried, the charges will be leived pro-rata** for the additional passengers to be declared at the starting station before or at the time of the commencement of journey. Extra passengers carried without payment at the starting station will be charged pro-rata and penalty charges recovered as per extant rules. ***Commercial staff will ensure the number of passengers travelling and not carrying of explosives and inflammable materials in the compartments.***
(Ref: IRCA Coaching Tarrif 26 Part-I (vol.I) Rule No. 305(6) (a)& 401.2(a)

Note-

As an exemption for the purpose of calculating point to point charges & detention charges for special trains, special free halts for en-training/detraining of passengers, collection of water/eatable etc at en-route station/stations shall be provided the

number of **special free halts permitted shall be maximum of 2 (two) in each block of 1000 kms journey or part thereof**. Each halt shall be for a **maximum duration of 20 minutes only**, the special free halt would be allowed only when the applicant request for them while submitting the application for itinerary for the special train. These special free halts and the Railway operational halts shall not be considered for calculating to point to point charges and detention charges.

(Ref: IRCA Coaching Tarrif 26 Part-I (vol.I) Rule No. 401.2(a) Note-(2)

7. **Payment**:

The charges must be paid in full 48 hrs in advance of the departure of the train or to which Special Coach/Coaches are to be attached falling which it will be deemed that the running of Special Coach/Coaches/Train has been countermanded by the organizers. The entire registration cum Security Deposit will be forfeited in this case.

(Ref: IRCA Coaching Tarrif 26 Part-I (vol.I Rule No. 305 (6)(b) & 401.2(c)

8. **Minimum Composition of Special Train and chargeable distance**:

As prescribed from time to time, the minimum composition of Special Train at present is **18 coaches including SLRs and minimum chargeable distance is 500 kms for Mail/Express trains both for coach as well as special train.**

Note:
As prescribed from time to time, the minimum composition of **Special Train on request of IRCTC is at present 10 coaches.**

(Ref: IRCA Coaching Tarrif 26 Part-I (vol.I) Rule No.305(6)(C) (c) & 401.1)

9. **Concession**:

No concession will be allowed for booking of Special Coach/Coaches/Train. Charges will be recovered in full for Children, students, Sr. Citizens etc.

(Ref: IRCA Coaching Tarrif 26 Part-I (vol.I) Rule No. 305(7) & 401.2(b)

10. **En-route extra detention on request of applicant**:

Whenever there is extra detention of the Special Coach/Coaches/Train booked on FTR at any station beyond the approved detention hours and / or alteration in the route after the commencement of journey on party's request, charges arising due to such extra detention and/or alteration in the route must be paid at the station itself where extra detention/route alteration occurs.

(Ref: Item No. 1 of Railway Board Commercial circular No 9 of 2011.)

11. **Non entitlement due to non submission of previous folder**:

The party who has not submitted the earlier folder shall not be permitted to book Special Coach/Coaches/Train till the dues are settled.

(Ref: Item No. 7 of Railway Board Commercial circular No 9 of 2011.)

12. **Punctuality of Special Trains**:

Railway do not guarantee the arrival or departure of Special Train at the exact times specified nor will they be accountable for any loss or inconvenience which may arises to occupants from delays or detention to themselves or their luggage.

(Ref: IRCA Coaching Tarrif 26 Part-I (vol.I) Rule No. 401.12)

13. **Prohibition on carriage of explosives and inflammable materials in the passenger compartments**:

Carrying of explosives and inflammable materials including LPG cylinders, Kerosene stoves ete. are prohibited. The applicant for Special Coach/Coaches/Train has to submit in writing for not to carry these materials.

(Ref: IRCA Coaching Tarrif 26 Part-I (vol.I) Rule No. 305(9) & 401.14)

14. **Identification and address proof**:

The applicant has to submit identification and legally permissible record of address proof to the Station Manager at the time of deposit Security money for booking of Special Coach/Coaches/Train. The address proof may be one of the documents issued by State/Central Government or Nationalized Banks.

(Ref: Item No. 11 of RailwayBoard Commercial circular No 9 of 2011.

15. **Countermanding charges**:

If the requisition for Special Coach/coaches/Train/Tourist Car is cancelled two days before the scheduled day of journey or earlier, 10% of the registration charge will be forfeited. If cancellation is done one day in advance (excluding the day of journey) and up to 4 hrs before the scheduled departure of train, cancellation charges shall be 25% of the chargeable fare and if the journey is cancelled within 4 hrs before the scheduled departure of the train or afterwards, the cancellation charge will be 50% of the chargeable fare.

Note:

If the requisition for special train/coach is cancelled by IRCTC two days before the scheduled day of journey or earlier countermanding charges may be calculated @ 10% of the registration fee which is Rs. 5000/- per coach and Rs. 50,000/- per special train (consisting of 10 coach instead of 15 coach) and the amount so calculated will be forfeited.

(Ref: IRCA Coaching Tarrif 26 Part-I (vol.I) Rule No. 313(6) & 401.9)

16. **Confirmation of tour:**

Confirmation of tour will be issued atleast 4 days prior to date of journey subject to haulage clearance is recieved from the concerned Railways, otherwise the programme will be deemed as cancelled on Railway account and party will be suitably advised.

17. The station Master of the station at which the tour originates will handover a folder to the organizer/applicant of the tour. It is the duty of the Station Manager to fill up

the details in the folder presented by the party and initial and affix station seal. It is the responsibility of the organizer/applicant reserving the coach/coaches/special train etc. to ensure that all the relevant particulars of this folder are obtained from the concerned Station Manager duly signed and affixed with the seal at each halt. The folder will be required to be filled up only in respect of halts given at the request of the applicant either in the original programme or subsequently are not operational halts at Railway convenience. On completion of the tour, the folder shall be submitted to the Station Manager of the originating station from which the tour originates **within 15 days of compeletion of the tour**.

(Ref: IRCA Coaching Tarrif 26 Part-I (vol.I) Rule No. 305(8) & 401.13)

18. Refund:

The Station Manager of the journey originating station will grant refund of the Security Deposit and over charges, if any on completion of the tour, after deducting all due charges, including the excess detentin charges. While granting refund, the Station Manager will ensure personally that no undercharge is pending from the party and the train/coach has been returned in sound condition. No refund will be granted if the folder and/or the ticket is lost or both are not deoposited in original. If the folder is submitted after the normal time limit to **30 days (w.e.f. 01.04.16)** but within 6 months of completion of the tour, 50% refund of Security Deposit can be granted with the approval of CCM. No refund shall be permitted if the folder is deposited after six months.

(Ref: IRCA Coaching Tarrif 26 Part-I (vol.I) Rule No. 313(11) & 401.8)
(Ref : Rly.Bd. Commercial Circular no. 11 of 2016 L.No. TC-II/2033/2015/Policy/1 dtd. 15.03.16. Amendment – Submission of Folder after the normal time limit from 15 days to 30 days.)

19. The registration of Special Coach/Coaches shall be at the station where supervisory Station Manager/Master is posted. Attaching/detaching of the coach/coaches will be permitted at a station where scheduled stoppage time of the asked train is 10 minutes or more.

(Ref: IRCA Coaching Tarrif 26 Part-I (vol.I) Rule No. 305(1)(d).

20. The Station Manager/Master should clearly advise the party not to indicate a specific train for further movement from a station in case they do not wish to detain the coach at that station and it is for the operating department to nominate next feasible train as per operating convenience of Railway. Party should be clearly advised that in case they indicate a specific train for further movement from a station the time duration for the connecting train will be treated as halt and they will have to pay the detention charges in full as per rules and will also forfeit the telescopic benefit due to treatment of such a station as beak point.

(Ref: Item No. 8 & 9 of Railway Board Commercial circular No 9 of 2011.)

21. After submitting the application no change in the programme will be accepted which effects the nature of the tour.

22. The Station Manager will keep a record of the booking Special trains/ Special coach With full details in a register and update regularly.

23. Similarly, a record should also be kept in the Divisional control office for the booking Of Special train/Special coach on FTR.

24. The Chief Booking Supervisor and Station Manager of the originating station will repeat a diary entry to Divisional control office immediately after accepting Registration cum Security money endorsing the Name and address of the applicant, MR No. and date etc.

25. Divisional control office will inform the CPTM through COIS and sent the application In original through Sr. DOM with all required details.

The Rules contained in IRCA Coaching Tarrif No. 26 Part I (volume I) Chapter III & IV and other instructions/amendments issued by Railway Board from time to time will be final.

Chief Commercial Manager/PS Chief Passenger Transportation Manager

Application for booking train on FTR

To
The Chief Pass. Trans. Manager
South East Central Railway
Bilaspur

(Through Station Manager/-------------------)

Sub: Request to book Special Train on Full Tariff Rate (FTR).

Respected Sir,

I, the undersigned, request to arrange to book a Special Train on FTR as per following journey and other details:

1. Purpose of journey:IRCTC Tour/Private Tour Operator/Marriage Party/Official Tour
2. No. & Type of coaches required: SLR- , Sleeper- , AC/ - , Pantry- =Total –
3. I am ready to pay and take LHB stock also.
4. Journey details:

	Date	Dep. time	From	To	Arr. time	Arr.Date	Route/via
Outward journey							
Inward journey							

5. Free halts: for outward journey --
for Inward journey --
6. Othe r (paid) stoppage: for outward journey ---
for Inward journey---.

I declare that: (i) if the demanded stock is not available on SECR other type of coach/coaches may be provided, it may be arranged from other Railways and agree to pay empty haulage charges for the same as per rule. (ii) I will accept any change of route as per the convenience of the Railways or due to operational constraints. (iii) I will not claim for any loss or inconvenience to passengers or their luggage which may arise from route changing or delay or detention as Railways do not guarantee the arrival or departure of special train at the exact times specified. (iv) I will not carry any inflammable, explosive, Dangerous, LPG cylinders, kerosene etc articles in the carriages. (v) I will pay all the charges as per extant Railway rules before 48 hrs of the departure of the train.

Copies of the Registration cum security money deposited vide receipt No. --------------------------------- Date: ----------- and address proof is attached. Original Safety Certificate for cooking staff to work in Pantry car issued by an authorized agency is also enclosed herewith. I assure that each carriage of the train will have minimum one fire fight trained person.

Place:----------------
Date: ----------------

Signature of applicant

Name & full Address of applicant with contact No.:

Certified that (i) the security cum Registration money is deposited by Sri ------------------------------ vide receipt No. ---------------------------- dtd. --------------. (ii) Above information mentioned by the applicant are true and have been verified. (iii) The applicant has submitted the folder and all dues have been settled for the booking, if any/ not booked any coach/ special train on FTR previously. (iv) All necessary rules and infrastructural feasibility is observed.

Signature of the Station Manager with seal

Application for booking of coach/coaches on FTR

To
The Chief Pass. Trans. Manager
South East Central Railway
Bilaspur

(Through Station Manager/ ---------------------)

Sub: Request to register special coach/coaches on Full Tarrif Rate (FTR).

Respected Sir,

I, the undersigned, request to book and regulate coach/coaches on FTR as per following journey and other details:

1. Purpose of journey: IRCTC Tour/Private Tour Operator/Marriage Party/Official Tour
2. No. & Type of coach/coaches:- General- , Sleeper- , AC/ - .
3. Journey details:

	Dep. Date	Train No.	From	To	Arr. Date
Outward journey					
Inward journey					

I declare that: (i) if the demanded stock is not available on SECR, it may be arranged from other Railways and agree to pay empty haulage charges for the same as per rule. (ii) attach/detach the coach/coaches at demanded stations if not feasible, it may be attached/detached at the suitable nearest or originating/destination station of the train as per Railway convenience and agree to pay the charges for the same as per rule. (iii) I will accept any change of route/train as per the convenience of the Railways or due to operational constraints. (vi) I will not claim for any loss or inconvenience to passengers or their luggage which may arise from delay or detention or route/train changing. (v) I will not carry any inflammable, explosive, Dangerous, LPG cylinders, kerosene etc articles in the carriage. (vi) I will pay all the charges as per extant Railway rules before 48 hrs of the departure of the train.

Copies of the Registration cum security money deposited vide receipt No. ------------------ Date: ---------- and address proof is enclosed herewith.

Place: -------------------
Date: ------------------

Signature of applicant

Name & full Address of applicant with contact No.:

Certified that (i) the security cum Registration money is deposited by Sri ------------------- vide receipt No. ---------------------------- dtd. ---------- . (ii) Above information mentioned by the applicant are true and verified. (iii) The applicant has submitted the folder and all dues have been settled for the booking if any/ not booked any coach/ special train on FTR previously. (iv) All necessary rules and infrastructural feasibility for attaching/detaching of the coach/coaches is observed.

Signature of the Station Manager with seal